

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कमांक-183/2013

संस्थित दिनांक-04.03.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

जिददनसिंह पिता बैसाखू ताराम, उम्र 70 वर्ष,

निवासी—ग्राम खजरा, सरई टोला, थाना गढ़ी,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-05/01/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-07.02.2013 को समय शाम करीब 4:00 बजे स्थान ग्राम खजरा सरईटोला आरक्षी केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी रामचंद को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत रामचंद को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-07.02.2013 को समय शाम करीब 4:00 बजे स्थान ग्राम खजरा सरईटोला आरक्षी केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत फरियादी रामचंद अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि आरोपी उसके खेत के किनारे मवेशी चरा रहा था, जिस पर फरियादी ने आरोपी से खेत में फसल लगी होने के कारण मवेशी चराने से मना किया तो आरोपी ने खेत से मवेशी निकालने से मना कर दिया और फरियादी रामचंद को अश्लील शब्द उच्चारित कर बांस की लकड़ी से सिर पर मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी दिया। उक्त घटना में आहत रामचंद के सिर से खून निकलने लगा तथा बांये भुजा पर चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़ी में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक-4/2013 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 506(भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.02.2013 को समय शाम करीब 4:00 बजे स्थान ग्राम खजरा सरईटोला आरक्षी केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी रामचंद को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामचंद को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत रामचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह वह आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले साल दीपावली के समय की है। घटना के समय आरोपी उसके खेत में मवेशी चरा रहा था तो उसने मना किया तो आरोपी ने लकड़ी से सिर पर मार दिया था, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना बिरसा में दर्ज कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोट का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने बयान में पुलिस को घटना के बारे में बताया था। आरोपी ने उसे गाली-गलौच किया था तथा मारने-पीटने की धमकी दिया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया। साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा बांस की लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उपहति कारित किये जाने के संबंध में उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट बिरसा थाना में दर्ज कराया जाना प्रकट किया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना गढ़ी में लेखबद्ध है, इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतएव उक्त त्रुटि तात्विक प्रकृति की न होने से उक्त आधार पर साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

6— साक्षी संतराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी तथा आहत को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 2-2:30 बजे प्रार्थी रामचरण के खेत की है, घटना दिनांक को आरोपी, प्रार्थी रामचरण के खेत में मवेशी चरा रहा था तो रामचरण खेत से मवेशी निकालने आया तो दोनों की लड़ाई हुई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मवेशी चराने के विवाद पर आरोपी ने फरियादी को बांस की लकड़ी से मारा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल से दूर खड़ा था, इसलिये किसने-किसको मारा, वह नहीं देख पाया। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने आरोपी द्वारा आहत रामचंद को लकड़ी से मारपीट करते हुये नहीं देखा, किन्तु साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी और आहत के मध्य मवेशी चराने पर से विवाद हुआ था।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जी.एल.चौधरी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-07.02.2013 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रामचरण धुर्वे की रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक खेमराज राणा के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना क्रमांक-04/2013, धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.द.वि. के तहत प्रदर्श पी-1 लेख की गई थी, जिस पर प्रधान आरक्षक खेमराज राणा के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-08.02.2013 को रामचरण की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी रामचरण, साक्षी केशरसिंह एवं संतराम के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में मात्र आहत रामचंद(अ.सा.1) ने ही कथित मारपीट के संबंध में कथन किये हैं, किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी ने आरोपी के द्वारा मारपीट किये जाने का समर्थन नहीं किया है। इस संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। फरियादी व आहत रामचंद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा उसे बांस की लकड़ी से मारकर उपहति कारित किये जाने के संबंध में

उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी संतराम (अ.सा.2) ने घटना के समय आरोपी और फरियादी के मध्य मवेशी चराने पर से विवाद होने की पुष्टि की है, किन्तु घटना स्थल से दूर होने के कारण उसने आरोपी द्वारा आहत रामचंद को मारपीट करते हुये न देखने के कारण उक्त मारपीट करने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में नहीं की। इस प्रकार मामले में आरोपी के द्वारा आहत रामचंद को बांस की लकड़ी से उपहति कारित किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है।

9— मामले में प्रस्तुत सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत रामचंद को प्रहार करते समय उसके पास प्रयुक्त साधन बांस की लकड़ी से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत रामचंद को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

10— अभियोजन की ओर से फरियादी व अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य पेश नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी रामचंद को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी रामचंद को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामचंद को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

12— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

13— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

14— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/— (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट